



2026:AHC:57229

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बी.एन.एस.एस. धारा 528 के तहत संख्या - 11062/2026

राहुल सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक हेतु अधिवक्ता: विजय सिंह, विनय कुमार

विपक्षी हेतु अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. सूचनार्ता/विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शुभम मोर्य द्वारा दाखिल वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनार्ता/विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम मोर्य और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन, दिनांक 23.02.2026 के समझौते के आधार पर, सत्र परीक्षण संख्या 959/2025 (राज्य बनाम राहुल सिंह) की संपूर्ण कार्यवाही, जो अपराध संख्या 848/2019, भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत, थाना चकेरी, जिला कानपुर नगर से उत्पन्न हुई है, तथा अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 25/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), कानपुर नगर के समक्ष लंबित दिनांक 10.12.2025 के गैर-जमानती वारंट को रद्द करने हेतु दायर किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विपक्षी संख्या 2/प्रथम सूचनार्ता ने 28.08.2019 को आवेदक के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध संख्या 848/2019 के रूप में, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत थाना चकेरी, जिला कानपुर शहर में पंजीकृत की गई थी, जिसमें सूचनार्ता/विपक्षी संख्या 2 द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनकी पुत्री, जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष है, को आवेदक द्वारा 27.08.2019 को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है।
5. जांच के दौरान, पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि उसकी जन्मतिथि 14.08.2001 है और उसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी। उसने 27.08.2019 को सुबह 7:30 बजे स्कूल जाने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन स्कूल जाने के बजाय, वह वाराणसी में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर चली गई। उसने अपनी माँ के साथ विवाद के कारण अपना घर छोड़ा था। उसे कोई शिकायत नहीं है और उसके साथ कोई अपराध नहीं किया गया है।
6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। पीड़िता को उसका बयान दर्ज करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसने बयान दिया कि उसके माता-पिता उसे पीटते थे, इसलिए उसने 27.08.2019 को आवेदक के साथ अपना घर छोड़ दिया। वे पटना चले गए जहाँ वे एक महीने तक रहे। कुछ समय बाद, वह अपने घर वापस आ गई और उसने स्पष्ट किया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया गया था, इसलिए, धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध अपहरण के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था। जांच अधिकारी ने पीड़िता का स्कूल प्रमाण पत्र एकत्र किया जिसमें उसकी जन्मतिथि 14.08.2002 दर्ज थी, इसलिए उसने इस मामले में पोक्सो जोड़ दिया। पीड़िता की आयु निर्धारण के लिए उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के समक्ष पेश किया गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर की दिनांक 10.10.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष पाई गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. जांच पूरी हुई और जांच अधिकारी ने 25.01.2021 को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और संबंधित विद्वान न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
8. आवेदक द्वारा वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या 9 के रूप में दिनांक 23.02.2026 का एक समझौता विलेख संलग्न किया गया है, जो विपक्षी संख्या 2/प्रथम सूचनार्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आवेदन के अनुलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न किया गया है और दिनांक 01.09.2020 के विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार, आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह 28.08.2020 को संपन्न हुआ था। आवेदन के पैराग्राफ संख्या 19 में भी यह कहा गया है कि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह संपन्न हुआ था और उन्हें एक पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जिसकी आयु लगभग दस महीने है। इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 9 में यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक और पीड़िता के विवाह से दो पुत्रों का भी जन्म हुआ था, लेकिन वे जीवित नहीं रह सके।
9. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और आवेदन के सभी तथ्यों के साथ-साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को उनके द्वारा स्वीकार किया गया और न तो इसका विरोध किया गया और न ही प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। दूसरी ओर, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि विवाह को विपक्षी संख्या 2 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आवेदक तथा वर्तमान मामले के सूचनार्ता/पीड़िता के बीच समझौता हो गया है, इसलिए वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है और विद्वान ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।
10. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि पीड़िता का विवाह आवेदक के साथ संपन्न हो चुका है और इस वैवाहिक संबंध से संतान का जन्म हुआ है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि अभियोक्त्री पोक्सो अधिनियम में परिभाषित 'बच्चा' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत एक बच्ची थी, इसलिए बाद का कोई भी घटनाक्रम, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा किए गए अपराध को समाप्त नहीं करेगा। इसके अलावा, उन्होंने स्वीकार किया कि धारा 161 और 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अपने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बयानों में पीड़िता ने अपने कथित अपहरण के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया था।

11. मैंने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
12. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष थी, इसके बावजूद जांच अधिकारी द्वारा पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत गलत तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया गया। धारा 161 और 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अपने बयानों में पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि किसी भी समय आवेदक द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसके बावजूद इस मामले में आवेदक के विरुद्ध गलत तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया गया। पीड़िता ने यह भी कहा कि वह वयस्क थी और वह स्वेच्छा से आरोपी/आवेदक के साथ गई थी। उसने आगे बताया कि उसने 28.08.2020 को आवेदक के साथ विवाह संपन्न किया था और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब पीड़िता ने स्वयं वयस्क होने के नाते एफ.आई.आर. के संस्करण में बताए गए तथ्यों पर विवाद किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 और 366 के तहत कोई अपराध बनता है।
13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जूही देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2005 (13) SCC 376; सुहानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2018 (3) AICLR 183 और इस न्यायालय के निर्णयों - रीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2012 (2) ACR 2349; शाहीन परवीन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2015 (7) ADJ 713 और सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन संख्या 5471/2016), दिनांक 21.10.2016 को निर्णीत, पर भरोसा जताया गया है।
14. आवेदक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपराध करने का आरोप है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 यह प्रावधान करती है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति का कानूनी संरक्षण से अपहरण करेगा, उसे उस प्रावधान में दिए गए दंड के अनुसार दंडित किया जाएगा।
15. "कानूनी संरक्षण से अपहरण" को भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के तहत परिभाषित किया गया है। उद्धृत किए जाने पर प्रावधान इस प्रकार है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"जो कोई किसी नाबालिग को, यदि पुरुष है तो */सोलह/ वर्ष से कम आयु का, या यदि महिला है तो **/अठारह/ वर्ष से कम आयु की, या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या विकृत चित्त व्यक्ति के कानूनी संरक्षक के संरक्षण में से, ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहला-फुसलाकर ले जाता है, तो यह कहा जाता है कि उसने उस नाबालिग या व्यक्ति का कानूनी संरक्षण से अपहरण किया है।

स्पष्टीकरण: इस धारा में "कानूनी संरक्षक" शब्दों के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे कानूनी रूप से ऐसे नाबालिग या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा सौंपी गई हो।

अपवाद: यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के कृत्य पर लागू नहीं होती जो नेक नियत से खुद को किसी नाजायज बच्चे का पिता मानता है, या जो नेक नियत से खुद को ऐसे बच्चे की कानूनी अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कृत्य किसी अनैतिक या अवैध उद्देश्य के लिए न किया गया हो।"

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में निहित है कि जो कोई भी किसी महिला का इस आशय से अपहरण या व्यपहरण करता है कि उसे विवश किया जाए, या यह जानते हुए कि यह संभावित है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाएगा, या इसलिए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या प्रेरित किया जाए, उसे प्रावधान में दिए गए दंड के अनुसार दंडित किया जाएगा। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने पर अपराध हुआ है या नहीं, इस पर विचार करते समय, जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के संदर्भ में अपराध के घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक है।
17. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय ने उन तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच की है जो मामले की जांच के दौरान उभर कर सामने आए हैं। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि अभियोक्त्री ने घटना की तिथि पर विवेक की आयु के साथ-साथ वयस्कता की आयु भी प्राप्त कर ली थी।
18. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 'जूही देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य', (2005) 13 SCC 376 में कुछ इसी तरह के तथ्य विचार के लिए आए थे, जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि जिस अभियोक्त्री ने विवेक की आयु प्राप्त कर ली है, उसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संवैधानिक गारंटी के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत है:-

"2. यहाँ याचिकाकर्ता पर अपनी ही उम्र के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने का आरोप है और याचिकाकर्ता के पिता, यहाँ 5वें प्रतिवादी ने उक्त विवाह पर आपत्ति जताई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता उस व्यक्ति के साथ भाग गई थी और याचिकाकर्ता के पिता-5वें प्रतिवादी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी और याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष पेश किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह वयस्क थी और स्वेच्छा से अपने पति के साथ गई थी। याचिकाकर्ता के पिता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता नाबालिग थी और आयु का प्रश्न मेडिकल बोर्ड को भेज दिया गया था। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि 17.05.2003 को याचिकाकर्ता की आयु 16 से 17 वर्ष के बीच रही होगी। हालांकि, याचिकाकर्ता के पिता ने पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और तर्क दिया कि उसकी जन्मतिथि 12.10.1985 है और उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि वह 17.05.2003 को भी 16 वर्ष से अधिक आयु की रही होगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उसने वयस्कता प्राप्त कर ली होगी और सुधार गृह में उसका रहना न्याय के हित में नहीं होगा और हमें लगता है कि सुधार गृह में उसका निरंतर रहना हानिकारक होगा और वह उस व्यक्ति के साथ रहकर बेहतर वातावरण में रहेगी जिससे उसने कथित तौर पर विवाह किया है।"

(बल दिया गया है)

19. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 'श्रीमती रीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' (बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 10180/2012), जिसे 24.5.2012 को निर्णीत किया गया था, में यह टिप्पणी की कि अभियोक्त्री के भागने के सीधे-सादे मामले में यह देखा जाना चाहिए कि संवैधानिक गारंटियों के आधार पर उसकी स्वतंत्रता का आनंद लेने के अधिकार में कटौती या अतिक्रमण न किया जाए। निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत हैं:-

"हम मामले के तथ्यों से पाते हैं कि यह याचिकाकर्ता श्रीमती रीना का रब्दुल्लाह के साथ भागने का एक सीधा-सादा मामला था और याचिकाकर्ता उसके बाद सीधे उसके घर चली गई

जहाँ से वह बरामद हुई प्रतीत होती है। लड़की की उम्र के संबंध में कुछ विवाद था, लेकिन हम अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्तमान याचिका के पृष्ठ 20 पर आने वाले तर्क से पाते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महाराजगंज ने उसकी आयु 18 वर्ष आंकी थी। इस प्रकार, यदि हम चिकित्सकीय रूप से आंकी गई आयु में तीन वर्ष जोड़ दें, तो वह महिला निर्विवाद रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु की थी। हमारे सुविचारित मत में, यदि किसी स्कूल दस्तावेज़ में दर्ज आयु और डॉक्टर द्वारा आंकी गई आयु के बीच टकराव होता है, तो केवल वर्तमान उद्देश्यों के लिए, न्यायालय को पीड़िता की आयु का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद दी गई डॉक्टर की राय पर कार्य करने की ओर झुकना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हो। आयु पर चिकित्सा राय सटीक नहीं हो सकती है, लेकिन यह आम तौर पर स्वीकार्य है और यह आयु के आकलन की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार, आंकी गई आयु और वास्तविक आयु के बीच कुछ मार्जिन होने के बावजूद, ऐसी संभावना हो सकती है कि आंकी गई आयु लगभग सटीक हो।

हमने पहले ही नोट किया है कि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि विचार होनी चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, न्यायालय को स्कूल के दस्तावेजों में दर्ज आयु पर विचार करने के बजाय चिकित्सा आयु पर विचार करने की ओर झुकना चाहिए। इसके अलावा, इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता श्रीमती रीना 3-3-2011 को रब्दुल्लाह के साथ भाग गई थी और उसके घर चली गई थी और वहीं रह रही थी। ...तथ्यों के वर्तमान सेट के तहत, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह भागने का एक सरल और सीधा मामला है और इस तरह स्वीकृत तथ्यों के तहत कोई अपराध घटित हुआ नहीं कहा जा सकता।

...किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में कोई आयु (सीमा) नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है और जो भारत में रह रहा है, भले ही वह भारतीय न हो, उसे संवैधानिक गारंटियों के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। कोई भी आदेश जो ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती या अतिक्रमण करता है, उसे हमेशा संवैधानिक आवश्यकताओं और सुरक्षा उपायों से कम माना जाना चाहिए और इस प्रकार,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे निरस्त करना होगा।”

(बल दिया गया है)

20. प्रस्तुत मामले में, विचारणीय बिंदु यह है कि आवेदक ने पीड़िता के संदर्भ में अपराध किया है या नहीं। यहाँ इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या - 3519(MB)/2015 (शाहीन परवीन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग एवं अन्य के माध्यम से) में पारित दिनांक 23.07.2015 के निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जहाँ इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि एक लड़की जिसने विवेक की आयु प्राप्त कर ली है और वयस्क होने की कगार पर थी तथा यह जानने में सक्षम है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, उसे प्रलोभन का शिकार नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से तब जब पीड़िता/लड़की का स्वयं का मामला यह है कि यह उसकी अपनी पहल और उसके स्वैच्छिक कृत्य के कारण था कि वह लड़के के साथ गई और उससे विवाह किया। ऐसी परिस्थितियों में, लड़की/पीड़िता की इच्छा को देखा जाना आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के घटकों पर उसी के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, न कि किसी यांत्रिक या तकनीकी व्याख्या में। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया था जहाँ अभियोक्त्री को विवेक की आयु प्राप्त पाया गया था और वह 17 वर्ष से कुछ कम आयु की थी। अभियोक्त्री ने बयान दिया था कि उसे न तो किडनेप किया गया और न ही उसका अपहरण किया गया, वह स्वेच्छा से और जानबूझकर आरोपी के साथ गई थी। वह याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी और एक गर्भवती माँ थी जो 31 सप्ताह के गर्भ से थी। इस न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए आरोप पत्र को रद्द कर दिया कि तकनीकी की वेदी पर वास्तविक न्याय की बलि नहीं दी जा सकती। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत हैं:-

“18. याचिकाकर्ता संख्या 1, जो पीड़िता/अभियोक्त्री है, भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के तहत अपराध होने की सबसे अच्छी गवाह, बल्कि एकमात्र गवाह होगी। निश्चित रूप से, पीड़िता अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करेगी, जैसा कि उसने जांच के दौरान धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है, और इसलिए परीक्षण का परिणाम दोषमुक्ति ही होगा। मुकदमे के दौरान, मामले के अभियोजन/बचाव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और निर्णय में काफी संख्या में मानव श्रम बर्बाद होंगे। कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और मुकदमे की पूरी कवायद व्यर्थ होगी क्योंकि पीड़िता ने घोषित किया है कि उसे प्रताड़ित या किडनैप नहीं किया गया था।

19. रिकॉर्ड से जो तथ्य सामने आए हैं, वे यह स्पष्ट करते हैं कि विवादित आपराधिक कार्यवाही इसलिए शुरू की गई है क्योंकि अभियोक्त्री/पीड़िता की माँ (प्रतिवादी संख्या 4) ने अपनी बेटी के याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ विवाह को स्वीकार नहीं किया है।

20. यदि, ऊपर बताए अनुसार रिकॉर्ड पर आए साक्ष्यों के बावजूद, कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता संख्या 2 को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा और मुकदमे की पीड़ा से गुजरना होगा।

21. हमने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि यदि याचिकाकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ता संख्या 1/कथित पीड़िता का वैवाहिक जीवन छिन्न-भिन्न हो जाएगा। उसके पति को जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बच्चे, जो अभी पैदा होने वाला है, की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा।

22. यदि कोई नाबालिग, अपनी मर्जी से, अपने माता-पिता के संरक्षण को त्याग देती है और किसी लड़के के साथ चली जाती है, जिसमें माता-पिता के संरक्षण को त्यागने में लड़के की कोई भूमिका नहीं रही हो और बिना किसी प्रकार के दबाव, प्रलोभन आदि के और आरोपी की ओर से बिना किसी प्रस्ताव या वादे के, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनेगा जब लड़की 17 वर्ष से अधिक आयु की हो और यह समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो कि वह क्या कर रही है। निश्चित रूप से, यदि आरोपी लड़की को प्रेरित या लुभाता है और वह प्रलोभन नाबालिग को उसके संरक्षक की अभिरक्षा और संरक्षण छोड़ने और आरोपी के साथ जाने के लिए प्रभावित करता है, तो न्यायालय के लिए यह स्वीकार करना कठिन होगा कि नाबालिग स्वेच्छा से आरोपी के पास आई थी। यदि पीड़िता/अभियोक्त्री अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाती है, तो कानून लड़के पर उसे वापस उसके पिता के घर ले जाने या उसे अपने साथ न आने के लिए कहने का कर्तव्य नहीं डालता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27. रिट न्यायालय, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं के कल्याण की उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकता, विशेष रूप से तब जब मुकदमे की कवायद व्यर्थ होने वाली है, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

28. ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय को विश्वास है कि विवादित कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग में शुरू की गई है। बेटी की पसंद के विवाह के प्रति व्यक्तिगत द्वेष को विवादित आपराधिक कार्यवाही शुरू करके निपटाया जा रहा है, जो कानून में स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा अभियोजन याचिकाकर्ताओं में निहित उनके विवेक के अनुसार विवाह करने के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर देगा, विशेष रूप से तब जब ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह संकेत दे कि विवाह अमान्य है।

29. अभियोजन पक्ष का यह रुख कि पीड़िता वयस्कता की आयु से कुछ महीने कम थी जब वह आरोपी/याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ गई थी, और इसलिए अपराध किया गया है, जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड पर आया है कि अभियोक्त्री एक गर्भवती माँ है और 31 सप्ताह के गर्भ से है। इस तथ्य के साथ अभियोक्त्री का बयान भी जुड़ा है जिसमें उसने कहा है कि उसे न तो किडनैप किया गया और न ही उसका अपहरण किया गया, बल्कि वह याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही है। यह अभियोक्त्री है जो स्वेच्छा से, जानबूझकर आरोपी के साथ गई थी, बजाय इसके कि आरोपी अभियोक्त्री को कानूनी संरक्षक की अभिरक्षा से बाहर ले गया हो; पीड़िता स्वयं याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ भाग गई थी। न्यायालय की सुविचारित राय में, वास्तविक न्याय की बलि तकनीकी की वेदी पर नहीं दी जा सकती, जैसा कि जांच एजेंसी द्वारा निष्कर्ष निकाला जा रहा है।

30. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता संख्या 2 के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के साथ पठित धारा 363 के तहत या धारा 366 के तहत अपराध किया है।”

(बल दिया गया है)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. माननीय शीर्ष न्यायालय ने 'एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य', AIR 1965 SC 942 के मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अर्थ की व्याख्या की है और यह माना है कि यदि पीड़िता स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी, तो ऐसे मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी उसे संहिता की धारा 361 के अर्थ के भीतर कानूनी संरक्षक के संरक्षण से ले गया था। एस. वरदराजन (उपरोक्त) का निर्णय अपनी संपूर्णता में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"11. हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि "ले जाने" और किसी नाबालिग को किसी व्यक्ति के साथ जाने देने के बीच एक अंतर है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं, हालांकि हम स्वयं को यह निर्धारित करने से बचना चाहते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के प्रयोजनों के लिए किसी भी कल्पनीय परिस्थिति में इन दोनों का अर्थ एक ही नहीं माना जा सकता। हम स्वयं को वर्तमान मामले जैसे मामले तक सीमित रखेंगे, जहाँ आरोपी द्वारा ले जाई गई कथित नाबालिग ने अपने पिता का संरक्षण यह जानते हुए और यह जानने की क्षमता रखते हुए छोड़ा कि वह जो कर रही है उसका पूर्ण प्रभाव क्या है, और वह स्वेच्छा से आरोपी व्यक्ति के साथ शामिल हो जाती है। ऐसे मामले में हमें नहीं लगता कि यह कहा जा सकता है कि आरोपी उसे उसके कानूनी संरक्षक के संरक्षण से "ले गया" है। इस तरह के मामले में कुछ और दिखाया जाना आवश्यक है और वह है आरोपी व्यक्ति द्वारा दिया गया किसी प्रकार का प्रलोभन या नाबालिग के मन में संरक्षक का घर छोड़ने का इरादा बनाने में उसकी सक्रिय भागीदारी।

12. हालांकि, यह पर्याप्त होगा यदि अभियोजन यह स्थापित कर दे कि भले ही नाबालिग द्वारा पिता का संरक्षण छोड़ने के तुरंत पहले आरोपी द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, लेकिन उसने पहले किसी स्तर पर नाबालिग को ऐसा करने के लिए उकसाया या राजी किया था। हमारी राय में, यदि इनमें से किसी एक चीज़ को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का अभाव है, तो यह अनुमान लगाना वैध नहीं होगा कि आरोपी नाबालिग को कानूनी संरक्षक के संरक्षण से बाहर ले जाने का दोषी है, केवल इसलिए क्योंकि उसके वास्तव में अपने संरक्षक का घर या वह घर जहाँ उसके संरक्षक ने उसे रखा था, छोड़ने के बाद, वह आरोपी के साथ शामिल हो गई और आरोपी ने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षक के घर वापस न लौटने की उसकी योजना में मदद की।

निसंदेह, आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका को लड़की के इरादे की पूर्ति को सुविधाजनक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाने वाला माना जा सकता है। वह भूमिका, हमारी राय में, नाबालिग को उसके कानूनी संरक्षक के संरक्षण से बाहर निकलने के लिए दिए गए प्रलोभन से कम है और इसलिए, यह "ले जाने" के समान नहीं है।

उस धारा के तहत अपराध के संबंध में स्थिति चाहे जो भी हो और भले ही यह मान लिया जाए कि एक नाबालिग कानूनन अपने कानूनी संरक्षक के संरक्षण को नहीं छोड़ सकती है, लेकिन जिस कारण से हमने पहले ही बताया है, उस आरोपी व्यक्ति को जिसके साथ वह बाद में पाई जाती है, उसे उसके संरक्षक के संरक्षण से बाहर ले जाने का दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कुछ और स्थापित न हो जाए।

यह बताने के बाद कि "ले जाने" और "बहलाने-फुसलाने" शब्दों के बीच एक अनिवार्य अंतर है, यह निःसंदेह देखा गया कि "ले जाने" के मामले में नाबालिग की मानसिक स्थिति प्रासंगिक नहीं है और "ले जाने" शब्द का अर्थ है जाने का कारण बनना, साथ ले जाना या कब्जे में लेना। लेकिन इन टिप्पणियों को उस मामले में पाए गए तथ्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। क्योंकि, यह पाया गया था कि नाबालिग लड़की, जिस पर आरोपी ने अपहरण करने का आरोप लगाया था, उसे आरोपी ने तब राजी किया था जब वह शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी, कि वह उसके साथ चले और उसे उसके द्वारा दूसरे गाँव ले जाया गया और उसके चाचा के घर में तब तक रखा गया जब तक कि बाद में चाचा द्वारा उसे उसके पिता को वापस नहीं सौंप दिया गया। इस प्रकार, यहाँ आरोपी व्यक्ति द्वारा अनुनय का एक तत्व था जिसके कारण लड़की की सहमति बनी और यही सारा अंतर पैदा करता है। अतः हमारी राय में, इनमें से कोई भी निर्णय राज्य के लिए सहायक नहीं है।

हम रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 363 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं हुआ है और इसलिए वह दोषमुक्ति का हकदार है। तदनुसार हम अपील स्वीकार करते हैं और उसे दी गई सजा और सजा के आदेश को रद्द करते हैं।"

22. माननीय शीर्ष न्यायालय ने 'श्रीराम उराव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य', आपराधिक अपील संख्या 41/2021, दिनांक 10.01.2025 को निर्णीत, में भी इस आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दी गई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सजा को रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता/आरोपी और शिकायतकर्ता/पीड़िता ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया था।

23. इसी प्रकार, 'दासरी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य', (2024) एससीसी आनलाइन एससी 936 के मामले में, जहाँ समान परिस्थितियों और लगभग समान प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था। दासरी श्रीकांत (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ 8 से 10 इस प्रकार हैं:-

"8. चूंकि, अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि करने का परिणाम यह होगा कि आरोपी अपीलकर्ता को जेल भेज दिया जाएगा, जो बदले में शिकायतकर्ता के साथ उसके वैवाहिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है।

9. परिणामस्वरूप, हम विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित आरोपी अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के पक्ष में हैं।

10. इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 27 जून, 2023 और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9 अप्रैल, 2021 को एतद्वारा रद्द और निरस्त किया जाता है।"

24. वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त निर्णयों के बहुत समान हैं। यहाँ भी मैं पाता हूँ कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसके अनुसार वह कथित अपराध की तिथि पर स्वेच्छा से आवेदक-आरोपी के साथ गई थी। उसके बाद, उसने उससे विवाह कर लिया। इसलिए, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के साथ पठित पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत कोई अपराध बनता है। पुलिस ने बिना दिमाग लगाए यांत्रिक तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया है और दुर्भाग्य से निचली अदालत ने भी मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। दूसरे, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत आपराधिक मामले की कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रद्द किया जा सकता है, यदि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं और उनके विवाह से एक संतान का जन्म हुआ है।

25. माननीय शीर्ष न्यायालय ने 'के. दंडपाणि बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक के माध्यम से', 2022 SCC OnLine SC 1056 और 'मफत लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य', 2022 SCC OnLine SC 433 के मामलों में भी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ विवाह संपन्न कर लिया था और दूसरा, न्यायालय उक्त तथ्य से आँखें नहीं मूँद सकता। चूंकि 'के. दंडपाणि' (उपरोक्त) के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संक्षिप्त है, इसलिए इसे यहाँ पूर्ण रूप से पुनरुद्धारित किया जा रहा है:

"अनुमति प्रदान की गई।

अपीलकर्ता, जो अभियोक्त्री का मामा है, वल्यार समुदाय से संबंधित है, जो तमिलनाडु राज्य में एक अत्यंत पिछड़ा समुदाय है। वह एक निजी कारखाने में दैनिक वेतन पर लकड़हारे के रूप में कार्य करता है। उसके विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 5(j)(ii) सहपठित धारा 6, 5(l) सहपठित धारा 6 और 5(n) सहपठित धारा 6 के तहत बलात्कार करने के लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। उसे उक्त अपराधों के लिए मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय, तिरुपुर द्वारा 31.10.2018 को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने 13.02.2019 के आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. पार्थिवन ने तर्क दिया कि उन पर आरोप यह था कि उन्होंने शादी का झांसा देकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उन्होंने बताया कि, वास्तव में, उन्होंने अभियोक्त्री से विवाह कर लिया है और उनके दो बच्चे हैं।

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण न्याय करना चाहिए तथा अपीलकर्ता और अभियोक्त्री के पारिवारिक जीवन में बाधा डालना न्याय के हित में नहीं होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



08 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद, हमने जिला न्यायाधीश को अभियोक्त्री की वर्तमान स्थिति के बारे में उनका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोक्त्री का बयान रिकॉर्ड पर रखा गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके दो बच्चे हैं और अपीलकर्ता द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है और वह एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने अपीलकर्ता को किसी भी राहत देने का इस आधार पर विरोध किया कि अपराध की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष थी और उसने 15 वर्ष की आयु में पहले बच्चे को जन्म दिया और दूसरा बच्चा तब पैदा हुआ जब वह 17 वर्ष की थी। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता और अभियोक्त्री के बीच विवाह कानूनी नहीं है। उन्होंने अपनी यह आशंका व्यक्त की कि उक्त विवाह केवल सजा से बचने के उद्देश्य से हो सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता अभियोक्त्री और बच्चों की देखभाल करेगा।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता, जो अभियोक्त्री का मामा है, की दोषसिद्धि और सजा उन बाद की घटनाओं के आलोक में रद्द किए जाने योग्य है जिन्हें इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। यह न्यायालय जमीनी हकीकत से अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता और अपीलकर्ता तथा अभियोक्त्री के सुखी पारिवारिक जीवन को बाधित नहीं कर सकता। हमें तमिलनाडु में मामा के साथ लड़की के विवाह की प्रथा के बारे में सूचित किया गया है।

उपरोक्त कारणों से, मामले के विशिष्ट तथ्यों में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है और इसे मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित माने जाएंगे।

यदि अपीलकर्ता अभियोक्त्री की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह या अभियोक्त्री की ओर से राज्य इस आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय का रुख कर सकते हैं।”

26. मेरी सुविचारित राय में, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि पीड़िता ने उपरोक्त धाराओं के संबंध में आवेदक के अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है, साथ ही पीड़िता ने किसी भी समय यह नहीं कहा कि आवेदक द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। इसलिए, पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत दंडनीय अपराध गठित करने के लिए बुनियादी घटक गायब है। इसके विपरीत, पीड़िता ने आवेदक के साथ विवाह संपन्न किया है और वे पिछले कई वर्षों से एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और विपक्षी संख्या 2/प्रथम सूचनार्ता ने भी समझौता कर लिया है। यदि इस न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द नहीं की जाती है, तो आवेदक और पीड़िता के साथ-साथ बच्चे को भी कानूनी क्षति पहुँच सकती है और आवेदक का मामला ऊपर वर्णित मामलों से पूरी तरह आच्छादित है।

27. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, वर्तमान आवेदन सफल होता है और स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार इसे स्वीकार किया जाता है।

28. सत्र परीक्षण संख्या 959/2025 (राज्य बनाम राहुल सिंह) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अपराध संख्या 848/2019, भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत, थाना चकेरी, जिला कानपुर नगर से उत्पन्न हुई है, तथा अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 25/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), कानपुर नगर के समक्ष लंबित दिनांक 10.12.2025 के गैर-जमानती वारंट को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

29. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

ए.पी. पांडेय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।